कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9 / उपा०कीट०अनु०–37 / 2014 / कृ0, पटना, दिनांक ....मई 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री पंकज पाठक,
मेसर्स डॉव एग्रो साइन्सेस इंडिया प्रा0 लि0,
द्वारा–आर्नया एजेन्सी प्रा0 लि0, टी0 पी0 एस0 कम्पाउन्ड,
अमित होटल के निकट, अनीसाबाद, न्यू बाईपास रोड, पटना–2

विषय :– **कीटनाशी बिक्री / भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 91 दिनांक 26.11.2013 के नवीकरण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना द्वारा समर्पित स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 के में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैद्यता तिथि के अन्तर्गत 31.12.2015 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०सं0	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	Chlorpyrifos 20% EC	31.12.2015
2	Chlorpyrifos 50% EC	31.12.2015
3	Cyhalofop Butyl 10% EC	31.12.2015
4	Spinosad 2.5% SC	31.12.2015
5	Spinosad 45% SC	31.12.2015
6	Tricyclzole 75% WP	31.12.2015
7	Myclobutanil 10% WP	31.12.2015

2–उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स डॉव एग्रो साइन्सेस इंडिया प्रा0 लि0, द्वारा–आर्नया एजेन्सी प्रा0 लि0, टी0 पी0 एस0 कम्पाउन्ड, अमित होटल के निकट, अनीसाबाद, न्यू बाईपास रोड, पटना–2

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री / भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4–अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री / भंडारण / विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री / भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक / संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7–नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिर्पोट दर्ज करनी होगी।

8–भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशियों का बिक्री भंडारण सर्वथा वर्जित है।

9–कीटनाशी बिक्री / भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–91 **दिनांक 26.11.2013** मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\Pesticide 2015-16\Pesticide Renewal letter.docx--एकवबग

ज्ञापांक 2459 /कृ0, पटना, दिनांक 26 मई, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(26)
27-5-2015